नशीली वस्तुओं पर रोक के लिए करें सहयोग

विधिक साक्षरता शिविर में पढ़ाया कानून का पाठ

गोपेश्वर में आयोजित शिविर में कानूनों की जानकारी देते जिला जज प्रदीप पंत।

अमर उजाला ब्यूरो

थराली। 'नशीली वस्तुओं की तस्करी और सेवन' विषय पर सीएचसी थराली में तहसील स्तरीय विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में सिविल जज जूनियर डिविजन अशोक कुमार ने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी और सेवन अपराध की श्रेणी में आता है। नशीली वस्तुओं के प्रयोग को रोकने के लिए आम जन मानस को पुलिस और प्रशासन को सहयोग देना चाहिए। बार संघ के अध्यक्ष हिम्मत सिंह रावल, सचिव रमेश चंद्र कुनियाल और अधिवक्ता ललित मोहन मिश्रा ने पुलिस और प्रशासन से क्षेत्र में हो रही अवैध मादक द्रव्यों की तस्करी को रोकने की मांग की। इस मौके पर नायब तहसीलदार ओमवीर सिंह, हरेंद्र सिंह नेगी, देवराम शर्मा, चंद्रा नेगी और जगमोहन सिंह आदि ने विचार व्यक्त किए।

कानून की जानकारी न होने से अधिकारों से वंचित हैं लोग

गोपेश्वर। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गोपेश्वर न्यायालय सभागार में पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ जिला जज प्रदीप पंत ने किया। उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए भारतीय संविधान में प्रावधान किए गए हैं, लेकिन कानून की सही जानकारी न होने से लोग अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने पैरालीगल स्वयं सेवकों को समाज के सभी वर्गों को कानून के प्रति संवेदनशील बनाने की बात कही। प्राधिकरण के सचिव रवि प्रकाश शुक्ला ने प्रशिक्षुओं को विभिन्न कानून की जानकारी दी। इस मौके पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह, प्रदीप सिंह आदि मौजूद थे। ब्यूरो